श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) 249199
Sri Dev Suman Uttarakhand University Badshahithaul Tehri Garhwal (Uttarakhand)
Website: www.sdsuv.ac.in

Ref 32 /Exam/SDSUV/2020

Dated :- 02/11/2020

कार्यालय आदेश

एतद् द्वारा सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल की दिनांक : 28 मई, 2020 को सम्पन्न हुई परीक्षा समिति की बैठक में अन्तरिम सैमेस्टर / वर्ष के विद्यार्थियों को औसत अकों के आधार प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णयों, जो विश्वविद्यालय शैक्षिक परिषद द्वारा अनुमोदित हैं एवं दिनांक : 20 जुलाई, 2020 को सम्पन्न हुई औसत अंक निर्धारण समिति के निम्नवत निर्णयों के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निम्नवत प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय से सम्बद्व विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संचालित विभिन्न आधारभूत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नई कक्षाओं हेतु प्रोन्नत प्रकिया सुनिश्चित की जाय।

01	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सैमेस्टर पद्वति के सभी व्यावसायिक एवं आधारभूत पाठ्यक्रमों में सम सैमेस्टर की अंक सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थियो को इस प्रतिबन्ध के साथ अगले सैमेस्टर में प्रोन्नति प्रदान की जायेगी कि वे अंक सुधार की परीक्षाओं हेतु अगले सम सैमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मलित होंगे एवं परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करेंगे।
02	समस्त व्यावसायिक एवं आधारभूत पाठ्यक्रमों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की विषम सैमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम) की परीक्षाओं में पूर्ण रूप से अनुत्तीर्ण विद्यार्थियो को अगले सैमेस्टर में औसत अंकों के आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जायेगा कि वह विद्यार्थी वर्तमान सम सैमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम) के आन्तरिक मूल्यॉकन के समस्त प्रश्न पत्रों / प्रयोगात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो। साथ ही वह आगामी विषम सैमेस्टर की परीक्षाओं के साथ पूर्व की विषम सैमेस्टर की परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण करेगा।
03	समस्त व्यावसायिक एवं आधारभूत पाठ्यक्रमों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की विषम सैमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम) की परीक्षाओं मे कुछ प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण एवं कुछ मे अनुत्तीर्ण अर्थात अंकसुधार वाले विद्यार्थियों को उनके विषम सैमेस्टर के उत्तीर्ण प्रश्न पत्रो के अको के औसत के आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जायेगा कि इस हेतु विद्यार्थी को वर्तमान सम सैमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम) के आन्तरिक मूल्यॉकन के समस्त प्रश्न पत्रो मे अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना होगा एवं विषम सैमेस्टर मे अनुतीर्ण प्रश्न पत्रों को आगामी विषम सैमेस्टर की परीक्षाओं के साथ उत्तीर्ण करेगा।
04	ऐसे विद्यार्थी जो विषम सैमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम) की सैद्वान्तिक, प्रयोगात्मक एवं आन्तरिक मूल्यॉकन की परीक्षाओं में पूर्ण रूप से अनुपरिथति थे वे अगले सैमेस्टर मे प्रोन्नति हेतु अर्ह नही होंगें। परन्तु यदि परीक्षार्थी सैद्वान्तिक, प्रयोगात्मक एवं आन्तरिक मूल्यॉकन की परीक्षाओं मे 50 प्रतिशत प्रश्न पत्रों में उपस्थित हुऐ हैं तो उन्हे बिन्दु संख्या 3 के अनुसार औसत अकों की गणना के आधार पर प्रोन्नत किया जायेगा।

	ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान सम सैमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम) की प्रयोगात्मक एवं आन्तरिक मूल्यॉकन की परीक्षाओं मे अनुपस्थिति या अनुत्तीर्ण हैं उन्हे अगली कक्षा में प्रोन्नत नही किया जायगा। अगली कक्षा मे प्रोन्नति हेतु वर्तमान सम सैमैस्टर की प्रयोगात्मक एवं आन्तरिक मूल्यॉकन की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6	ऐसे विद्यार्थी जिन्होने वर्तमान सम सैमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्टम) परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थी एवं अंक सुधार परीक्षा हेतु आवेदन किया है उन्हे अगले विषम सैमेस्टर मे प्रोन्नत कर दिया जायगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को उक्त भूतपूर्व छात्र एवं अंक सुधार की परीक्षाएं आगामी सम सैमेस्टर की परीक्षाओं के साथ उत्तीर्ण करनी होंगी।
7	पुराने पाठ्यक्रम पर आधारित स्नातक वार्षिक पद्वति की द्वितीय वर्ष (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) की परीक्षा में भूतपूर्व विद्यार्थियों के रूप मे आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम वर्ष के सैद्वान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंकों के औसत अंको के आधार पर तृतीय वर्ष में प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं अंक सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को उनके द्वितीय वर्ष के अन्य दो विषयों जिनमें वो उत्तीर्ण हैं के सैद्वान्तिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंको के औसत अंकों के आधार पर प्रोन्नति प्रदान की जायेगी।

डॉ0(आर0एस0चौहान)
परीक्षा नियत्रक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समस्त प्राचार्य/निदेशकों को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव।
4. वित्त अधिकारी।
5. सहायक परीक्षा नियंत्रक (मुख्य/व्यावसायिक)।
6. प्रभारी परीक्षा/गोपनीय/मान्यता।
7. प्रभारी डाटा सेण्टर।
8. श्री कुलदीप नेगी को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. कार्यालय प्रति।

डॉ0(आर0एस0चौहान)
परीक्षा नियत्रक